**प्रेस नोट** **दिनांक 29.09.2025**

**जनपद मऊ के थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में प्रतिबन्धित मांस काटने/ बेचने वाला गौ तस्कर 01/02 घायल/ गिरफ्तार ,कब्जे से तमंचा/ मिस कारतूस/ जिन्दा कारतूस .315 बोर व अवैध पिस्टल ,दो अदद खोखा/ जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद-** *

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व मे प्रतिबन्धित मांस काटने/ बेचने वालों पर चिरैयाकोट थाने को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब दिनांक 29.09.2025 को दौराने क्षेत्र भ्रमण मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हूई कि दो व्यक्ति जिनका प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो वायरल हुआ था, वह दोनो मोटर साइकिल से हाफिजपुर पुलिया से आ रहे है तथा मांस बेचने के लिए गाजीपुर जायेंगे, मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट योगेश यादव द्वारा मय पुलिस बल के सिरसा मोड़ पर पहूंचकर आने वाले व्यक्तियो का इन्तजार करने लगे की कुछ ही देर में मोटर साइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये, जिनके पास आने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार दोनो व्यक्ति वापस मुड़कर भागते समय मोटर साइकिल सहित गिर गये तथा खेतो की तरफ भागने लगे की पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर भाग रहे दोनो व्यक्ति जो खुद को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से नाजायज असलहे से फायर कर दिये, जिससे प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट व पुलिस बल बाल बाल बच गये, बार बार कहने के उपरान्त भी जब बदमाशो द्वारा आत्मसमर्पण नही किया गया तथा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती रही तो प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव द्वारा आत्म रक्षार्थ फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दुसरा अभियुक्त भी भागने के प्रयास में मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये की जो प्रतिबंधित मांस काटने का वीडियो वायरल हुआ है, वह उनका ही है तथा उसी प्रतिबंधित मांस को बोरी में भरकर बेचने के लिए जा रहे थे। घायल बदमाश को फौरन जीवन सुरक्षार्थ इलाज हेतु पुलिस टीम के निगरानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीपुर भेजा गया तथा मौके पर पकड़े गये अभियुक्त को समय करीब 04.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नाजायज असलहा व प्रतिबंधित मांस के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग....**

1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश

   गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता ....**

1.दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू पुत्र सेराज अहमद निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

2. रेहान उर्फ शेरू पुत्र शमसुद्दीन निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

**वांछित अभियुक्त..** ....

शम्सुद्दीन पुत्र स्व0 मंगरू निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

**बरामदगी का विवरण.......** .

1.एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर

2.दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर

3.एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

4.एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर

5.एक अदद मिस कारतूस 315 बोर

6.एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

7. प्रतिबंधित मांस 20 किलोग्राम

**अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास..** ...

क. दिलशाद कुरैशी उर्फ मल्लू पुत्र सेराज अहमद निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 445/2016 धारा 11 घ पशु क्रुरता अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 529/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 106/2018 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 165/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 NIL/2020 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

6. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

ख.. रेहान उर्फ शेरू पुत्र शमसुद्दीन निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

ग.. शम्सुद्दीन पुत्र स्व0 मंगरू निवासी वार्ड नं0 15 जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 109/352/351(2) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

**गिरफ्तार करने वाली टीम..** .

1.प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

2.उ0नि0 विरेन्द्र दूबे थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

3.उ0नि0 नितेश तिवारी थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

4.हे0का0 मंजीत यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

5.का0 अमरेश सिंह थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

6.का0 प्रमोद यादव थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

7.का0 अतुल गोड़ थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

8.का0 कमलजीत वर्मा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

9.हे0का0 सुनील कुमार थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

10. हे0का0 राजेश यादव थाना चिरैयाकोट मऊ

11. का0 प्रदीप कुमार थाना चिरैयाकोट मऊ

**हत्या के प्रयास से संबंधित वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 278.09.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर को रेलवे यार्ड के पास से मु0अ0स0 333/2025 धारा 74, 118(1), 351(2), 352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त हर्ष वर्धन सिंह उर्फ डिल्लू पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी अंधा मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 27.09.2025 को रवि गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी बुद्ध विहार कालोनी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली नगर को अभियुक्त हर्ष वर्धन सिंह उर्फ डिल्लू पुत्र शिव प्रसाद सिंह निवासी अंधा मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा चाकू से मारने की घटना की गयी थी, अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

1. हर्ष वर्धन सिंह उर्फ डिल्लू पुत्र शिव प्रसाद सिंह नि0 हिन्डोला थाना मोहम्मदाबाद हाल नि0 अंधा मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ

**बरामदगी–**

1. एक अदद चाकू बरामद।

**आपराधिक इतिहास–**

1. मु0अ0सं0 333/2025 धारा 74,118(1),351(2),352 BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मऊ
2. मु0अ0सं0 322/2025 धारा 115(2), 351(2) BNS थाना कोतवाली नगर मऊ
3. मु0अ0सं0 248/2025 धारा 3(5), 351(2) BNS थाना कोतवाली नगर मऊ
4. मु0अ0सं0 499/2022 धारा 307, 34 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मऊ
5. मु0अ0सं0 547/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर मऊ
6. मु0अ0सं0 495/2022 धारा 307, 34, 504 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मऊ
7. मु0अ0सं0 464/2022 धारा 147, 308, 323, 325, 504, 506 भादवि0 थाना सरायलखंसी मऊ
8. मु0अ0सं0 306/2021 धारा 427, 452, 504, 506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मऊ
9. मु0अ0सं0 254/2021 धारा 3/ 25 आयुध अधि0 थाना नगरा जनपद बलिया
10. मु0अ0सं0 215/2021 धारा 399, 402 भादवि0 थाना नगरा जनपद बलिया
11. मु0अ0सं0 393/2018 धारा 323, 504, 506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मऊ

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय हमराह
2. का0 रविकिरण सिंह
3. हे0का0 इमरान
4. का0 राजकुमार चौरसिया

**मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्र्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्र्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिह के नेतृत्व में दिनांक 29.09.2025 को दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कोरौली बाजार के पास से मु0अ0स0 140/25 धारा 69, 79, 296, 352, 351(2) बीएनएस में वाछित अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र राम अवध निवासी करुवीरपुर बेला कसैला थाना दोहरीघाट जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 90/25 धारा 69/351(2) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

**अभियुक्त का नाम पता -**

संजीत सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर निवासी कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ

**01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 29.09.2025 को मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जमुई जाने वाले रास्ते के पास मु0अ0स0 365/25 धारा 309(4) बीएनएस में वांछित बाल अपचारी विवेक पुत्र राजेश यादव निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को पुलिस अभिरक्षआ मे लिया गया। उक्त प्रकरण में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी कर चालान न्यायलय किया गया ।

**पंजीकृत अभियोंग-**

1. मु0अ0स0 365/25 धारा 309(4), 314(2)

**बाल अपचारी का नाम व पता –**

1. विवेकानन्द यादव उर्फ विवेक पुत्र राजेश यादव थाना रानीपुर जनपद मऊ।

**आईफोन खरीदने के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 16000 ( सोलह हजार) रुपये थाना दक्षिण टोला द्वारा कराया गया वापस–**

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर/अपराध महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये आईफोन खरीदने के नाम पर किये गए फ्राड का कुल 16000 ( सोलह हजार) रुपये आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक रिहान अहमद पुत्र महफूज अहमद निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ का कुल 16000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1-प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

2-उ0नि0 मधूसदन चौरसिया थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

3-क0 आ0 नवनीत पाण्डेय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।